103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–549/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–04–1995 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–594/1993–94/अपील

.....

1– मुस0 फूलवती बेवा रामराज ब्राहम्ण

2– राजकिशोर पुत्र रामराज ब्राहम्ण

3– कामता प्रसाद पुत्र रामराज ब्राहम्ण

4– बृजलाल पुत्र रामराज ब्राहम्ण

5– रामायण पुत्र रामराज ब्राहम्ण

6– राजेश पुत्र रामराज ब्राहम्ण

क्रमांक 3 से 6 तक नाबालिक व जरिये भाई राजकिशोर पुत्र रामराज ब्राहम्ण क्रमांक 2

7– गोविन्द प्रसाद पुत्र रामबली

8– मानिन्द प्रसाद पुत्र रामराज ब्राहम्ण

9– फुलबसुआ बेवा रामबली क्रमांक 8 नाबालिग जरिये व फुलबसुआ बेवा रामबली (क्रमांक 9)

निवासीगण–भगदेवा, तहसील हनुमना,

जिला–रीवा(म0प्र0)

———आवेदकगण

विरूद्ध

पारसनाथ पुत्र जगन्नाथ ब्राहम्ण

निवासी–भगदेवा, तहसील हनुमना,

जिला–रीवा(म0प्र0

———अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14-11-2017 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के आदेश दिनांक 28-04-1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भगदेवा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खाता क्रमांक 141 किता 52 रकबा 11.68 एवं भूमि खाता क्रमांक 142 खसरा नं0 456 रकबा 0.22 डि0 भूमि खाता नं0 144 किता 30 रकबा 4.31 के पूर्व में हुये बटवारा के आधार पर नामांतरण हेतु अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा आवेदक क्र0 2 राजकिशोर आदि द्वारा ग्राम गौरी स्थित खाता नं0 109, 599 तथा खाता नं0 109 ग्राम चोरिगवां के पूर्व में हुये बटवारा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया गया । तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण में कार्यवाही करते हुये दिनांक 21.07.1992 से प्रकरण का अंतिम निराकरण कर अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील मय धारा 5 का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जहॉ पर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने दिनांक 18.08.94 से तहसील न्यायालय का आदेश विधिसंगत न मानते हुये निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक-594/1993-94/अपील पर पंजीबद्ध कर दिनांक 28-04-1995 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार किया ।

अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायायलों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि खाता क्रमांक 141 किता 52 रकबा 11.68 एवं भूमि खाता क्रमांक 142 खसरा नं0 456 रकबा 0.22 डि0 भूमि खाता नं0 144 किता 30 रकबा 4.31 तथा ग्राम गौरी स्थित खाता नं0 109, 599 तंथा खाता नं0 109 का नामांतरण नायब तहसीलदार ने दिनांक 21.07.92 को किया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर हितबद्ध पक्षकार को सूचना दी गई एवं दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये नामांतरण आदेश पारित किया गया था, जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का एकमात्र कारण यह माना है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया है और न ही उन्हें सुनवाई की कोई अवसर ही दिया गया है। आवेदकगण की अनुपस्थिति में नामांतरण का आदेश पारित किया गया था। जबकि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण की कार्यवाही की गई थी तथा दिनांक 21.07.92 को नामांतरण का आदेश पारित किया गया था और इसी दिनांक को ही आवेदक क्रमांक 01 फूलवती के अंगूठे का निशान आदेश पत्रिका में लगा है तथा उसके द्वारा नामांतरण पर सहमति भी दी थी। इसीलिये तहसीलदार ने उक्त सहमति के आधार पर ही नामांतरण आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने इस महत्वपूण विधिक प्रश्न पर गौर किये बिना अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की है कि आवेदक की सहमति से

पारित आदेश के विरूद्ध अपील की अधिकारिता थी अथवा नहीं । इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.08.1994 को निरस्त किया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश 28–04–1995 स्थिर रखा जाता तथा आवेदकगण की निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,